अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 662(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दी गई जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016 को अनुमोदन देती है।

उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(i) इस विनियमावली का नाम "जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016" होगा।

(ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

(2) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 में सतर्कता विभाग के अंतर्गत उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद की अनुसूची में:

(i) कालम 11 की प्रविष्टियों को "प्रतिनियुक्ति द्वारा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) कालम 12 की प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"महापत्तन न्यासों में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा महापत्तन न्यासों में रु. 20600-46500 (रु. 10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों में से और ऐसा न होने पर केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों में समान ग्रेड में कार्य करने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।"

[फा. सं. पीआर–12012/2/2011–पीई–I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 21 जनवरी, 2011 के साकानि 43(स्था.) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2016

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016 made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Jawaharlal Nehru Port Trust

Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal Nehru hereby makes the following regulations further to amend the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotions) Regulations, 2011, namely :-

I Short Title and commencement.-

(i) These Regulations may be called as the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2016.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

II In the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, in the Schedule, for post of Deputy Chief Vigilance Officer under the Vigilance Department.–

(i) the entries under Column No. 11 shall be substituted by the words, "By deputation".

(ii) the entries under Column No. 12 shall be substituted by the following :

"Deputation from officers of Major Port Trusts holding analogous posts or officers holding posts in the pay scale of Rs.20600-46500 (Rs. 10750-16750 pre-revised) with 3 years regular service in the grade in Major Port Trusts failing which from officers of the Central Govt./ State Govt./PSUs/Autonomous Bodies with similar grade."

[F. No. PR-12012/2/2011-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

NOTE : The Principal regulations were notified in the Gazette of India under No. GSR 43(E) dated 21st January, 2011.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 663(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार विशाखापट्टणम पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दी गई विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016 को अनुमोदन देती है।

उक्त संशोधित विनियमावली इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

अनुसूची

विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विशाखापट्टणम पत्तन न्यास का न्यासी मंडल विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2009 को फिर से संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :-

(1) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

(i) इस विनियमावली का नाम "विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियमावली, 2016" होगा।

(ii) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार द्वारा दी गई मंजूरी के भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

(2) विशाखापट्टणम पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2009 में सतर्कता विभाग के अंतर्गत उप मुख्य सतर्कता अधिकारी के पद की अनुसूची में:

(i) कालम 11 की प्रविष्टियों को "विशाखापट्टणम" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) कालम 12 की प्रविष्टियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"महापत्तन न्यासों में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारियों अथवा महापत्तन न्यासों में रु. 20600-46500 (रु. 10750-16750 संशोधन पूर्व) के वेतनमान में उस ग्रेड में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारियों में से और ऐसा न होने पर केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों में समान ग्रेड में कार्य करने वाले अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा।"

[फा. सं. पीआर–12012/2/2011–पीई–I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली भारत के राजपत्र में दि. 27/8/2009 के साकानि 601(स्था.) द्वारा प्रकाशित की गई थी।